

FROM No. -III

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा

केम्प कोर्ट- कानिया

भैरु पिता गोपी भाम्बी
निवासी- कानियाँबनाम श्रीराम पिता गोपी भाम्बी
निवासी- कानियाँ

किस्म मुकदमा-ईजराय प्रार्थना पत्र

प्रकरण संख्या- 21/2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
21.05.2018	<p>पत्रावली आज केम्प कोर्ट में पेश हुई। न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या' 60/2016 निर्णय दिनांक 29.05.2017 की पालना हेतु तहसीलदार हुरडा को लिखा जाने पर तहसीलदार हुरडा डिकी की पालना राजस्व रिकोर्ड में कर जमाबन्दी की प्रति जरिये पत्र कमांक राजस्व/2018/893 दिनांक 26.04.2018 से प्रस्तुत की गई , जो पत्रावली में संलग्न है । प्राप्त पालना रिपोर्ट का अवलोकन वकील डिकीदार को करवाया गया जिससे वह सन्तुष्ट होना जाहिर किया है ।</p> <p>मैने भी प्राप्त पालना रिपोर्ट का अवलोकन किया । तदनुसार डिकी पालना होना सुनिश्चित हुआ है । अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं होने से पत्रावली शुमार फैशल होकर दाखिल दफतर करें ।</p> <p>आदेश आज दिनांक 21.05.2018 को खुली अदालत केम्प कोर्ट कानिया में सुनाया गया ।</p> <p>उपरग्रण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गुलाबपुरा केम्प</p>	



श्री सहाय

11/1/2018
यक कलेक्टर
D. O.) गुलाबपुरा
जिला-कानियाँ

2 पक्ष

3 डि

4 क

5 वि

6 ग

7 प्र

8 य

9 फ

10 र

दिनांक

गया है

दिनांक